



लाभ का पद

प्रलिस के लिये: लाभ का पद, चुनाव आयोग, जनप्रतनिधित्व अधनियम, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 102 (1), अनुच्छेद 191 (1), अनुच्छेद 164 (4), उच्च न्यायालय ।

मेन्स के लिये: लाभ का पद और संबंधित संवैधानिक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'लाभ का पद' के आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री ने सरकार से अपने अपराध को सार्वजनिक करने के साथ-साथ उन्हें त्वरित रूप से दंड दिये जाने का अनुरोध किया था ।

'लाभ के पद' की अवधारणा:

- वधायिका के सदस्य के रूप में सांसद और वधायक सरकार को उसके काम के लिये जवाबदेह ठहराते हैं ।
- लाभ के पद का कानून के तहत अयोग्यता का अर्थ है कि यदि वधायक सरकार के तहत 'लाभ का पद' धारण करते हैं, तो वे सरकारी प्रभाव के लिये अतसिंवेदनशील हो सकते हैं और अपने संवैधानिक जनादेश का नषिपक्ष रूप से नरि्वहन नहीं कर सकते हैं ।
- जिसका आशय यह है कि नरिवाचति सदस्य के करतव्यों और हतियों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिये ।
- इसलिये लाभ का पद कानून केवल संवधान की बुनयिदी वशिषता को लागू करने का प्रयास करता है-वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण का सिधांत ।

लाभ का पद:

- **परचिय:**
 - संवधान में लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न न्यायालयी फैसलों में की गई व्याख्याओं द्वारा इसका अर्थ अवश्य स्पष्ट हुआ है ।
 - लाभ के पद की व्याख्या के अनुसार, पद-धारक को कुछ वत्तीय लाभ या बढ़त या हतिलाभ प्राप्त होते हैं ।
 - ऐसे मामलों में इस तरह के लाभ की राशमिहतत्वहीन है ।
 - **सर्वोच्च न्यायालय** ने वर्ष 1964 में फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है या नहीं, इसका नरिधारण उसकी नयुक्तकी जाँच द्वारा होगी ।
- **नरिधारक कारक:**
 - क्या सरकार नयुक्तप्राधिकारी है
 - क्या सरकार के पास नयुक्तसिमाप्त करने का अधिकार है
 - क्या सरकार पारशिरमकि नरिधारति करती है
 - पारशिरमकि का स्रोत क्या है
 - शक्ति जो पद के साथ प्राप्त होती है

'लाभ का पद' धारण करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संवधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है । अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य वधिनसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी अन्य लाभ के पद को धारण करने की मनाही है ।
 - अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि "किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह एक मंत्री है" ।
- संवधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या वधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्त दी गई है ।

- संसद ने भी संसद (अयोग्यता नविवरण) अधिनियम, 1959 अधिनियमि कयि है। जसिमें उन पदों की सूची दी गई है जनिहें लाभ के पद से बाहर रखा गया है। संसद ने समय-समय पर इस सूची में वसितार भी कयि है।

सरवोच्च न्यायालय के संबंधति फ़ैसले:

- सरवोच्च न्यायालय के तीन नरिण्यों के मद्देनज़र **जनपरतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए** के तहत मुख्यमंत्री को अयोग्य घोषति कयि जा सकता है।
 - इस धारा के तहत माल की आपूरतिया सरकार द्वारा कयि गए कसि भी कार्य के नषिपादन के लयि अनुबंध करना होता है।
- वर्ष 1964 में सीवीके राव बनाम दंतु भास्कर राव के मामले में सरवोच्च न्यायालय की एक संवधान पीठ ने माना है कएिक खनन पट्टा माल की आपूरति के अनुबंध की राशानिहीं है।
- वर्ष 2001 में करतार सहि भड़ाना बनाम हरसिह नलवा और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी स्पष्ट कयि क खनन पट्टा सरकार द्वारा कयि गए कार्य के नषिपादन की राशानिहीं है।
- यद **मुख्यमंत्री को कसि प्राधिकारी द्वारा अयोग्य** घोषति कयि जाता है, तो भी वह इसे **उच्च न्यायालय** में चुनौती दे सकता है और यह नरिण्य **सरवोच्च न्यायालय** के आदेश के अनुसार चार महीने के भीतर पूरा कयि जाना चाहयि।
 - **अनुच्छेद 164(4)** के तहत एक व्यक्तबिना सदस्य बने छह महीने तक मंत्री रह सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. संसद (नरिहता नविवरण) अधिनियम, 1959 'लाभ के पद' के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देती है।
2. उपर्युक्त अधिनियम में पाँच बार संशोधन कयि गया है।
3. 'लाभ का पद' शब्द भारत के संवधान में अचछी तरह से परभाषति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

- संसद (नरिहता नविवरण) अधिनियम, 1959 कई पदों को अयोग्यता से मुक्त करता है, जैसे: राज्य मंत्री और उप मंत्री संसदीय सचवि व संसदीय अवर सचवि संसद में उप मुख्य सचेतक वशिखवदियालयों के कुलपति राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं प्रादेशकि सेना में अधिकारी तथा सरकार द्वारा गठति सलाहकार समतियों के अध्यक्ष व सदस्य जब वे परतपूरक के अलावा कसि भी शुलक या पारशिरमकि आदि के हकदार नहीं होते हैं। **अत: कथन 1 सही है।**
- इस अधिनियम को इसके नरिमाण के बाद से 5 बार- वर्ष 1960, 1992, 1993, 2006 और 2013 में संशोधति कयि गया है। **अत: कथन 2 सही है।**
- भारत का संवधान लाभ के पद को स्पष्ट रूप से परभाषति नहीं करता है, लेकिन वभिनिन न्यायालयों के नरिण्यों में की गई व्याख्याओं के साथ इसकी परभाषा वर्षों में वकिसति हुई है। **अत: कथन 3 सही नहीं है।**
- **अत: वकिल्प (A) सही उत्तर है।**

स्रोत: हदिसतान टाइम्स